न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

निरंजन पुत्र चौबे उम्र 62 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पहाडी(गुडला) तहसील करौली जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार करौली तहसील करौली राज0
2. लक्खीराम पुत्र भौंदू उम्र 80 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कासीरामपुरा तहसील करौली जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील व नाराजगी आदेश दिनांक 04.08.1990 बाबत नामांतरकरण संख्या 872 ग्राम गुडला तहसील करौली

निर्णय

दिनांक 05.11.2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पेश कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नंबर 2239 ग्राम गुडला तहसील करौली में स्थित है इस आराजी का रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 के नाम कभी आबंटन नही हुआ है। आबंटन पट्टा इस भूमि का नही होकर अन्य आराजी का है। नामांतरकरण संख्या 872 जो कि दिनांक 04.08.1990 को दर्ज किया गया है जिसमें खसरा नं. 2239 दर्ज है। रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 को खसरा नंबर 2004 की भूमि में से 3 बीघा 10बिस्वा भूमि दिनांक 21.08.1972 को आबंटन हुई है। तहसीलदार करौली द्वारा गलत तरीके से यह नामांतरकरण दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध है इस नामांतरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 24.08.2014 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई है जिसकी नियमानुसार दिनांक 17.09.2014 को नकल प्राप्त की गई। इससे पूर्व अपीलाण्ट को ऐसे नामांतरकरण की कोई जानकारी व ज्ञान नही था नकल प्राप्त होने के दिवस से अपील अंदर मियाद पेश है। अंत में अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन किया गया है कि नामांतरकरण संख्या 872 निर्णय दिनांक 04.08.1990 को अपास्त फरमाया जावें।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग से मूल नामांतरकरण तलब किया गया। अप्रार्थी नं. 1 जरिये वकालानतन उपस्थित आया।

उभय पक्षकारान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपने बहस कथन में अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि आराजी खसरा नं. 2239 के रकबे में से 5 बीघा भूमि अप्रार्थी नं. 2 को दिनांक 31.08.1972 में आबंटन बताकर न्यायालय उपजिला कलक्टर करौली में प्रस्तुत किया गया था जो भूमि अप्रार्थी नं. 2 को आबंटन नही हुई है जो भी कार्यवाही हुई है वह विधि विरूद्ध है तहसीलदार करौली द्वारा बिना किसी आधार के अप्रार्थी नं. 2 के हक में गलत तरीके से नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 04.08.1990 स्वीकार किया गया है। दिनांक 21.08.1972 के दिवस लक्खीराम के हक में खसरा नं. 2239 के रकबे में से कोई आवंटन नही हुआ है बल्कि खसरा नं. 2004 में से 3 बीघा

10 बिस्वा भूमि आबंटन हुई है। सभी प्रकार की कार्यवाही बिना आधार, कूटरचित एवं फर्जी है। नामांतरकरण गलत तथ्यों से दर्ज किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी नं. 2 ने बहस में कथन किया है कि जो नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है वह सही है। नामांतरकरण आदेश से भरा गया है। आदेश अभी तक निरस्त नही हुआ है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं आबंटन पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया है कि नामांतरकरण संख्या 872 वाके ग्राम गुडला तहसील हिण्डौन में पटवारी हल्का गुडला ने तहसीलदार करौली के आदेश अनुसार दर्ज किया हुआ है। जबकि अप्रार्थी नं. 2 को आराजी खसरा नंबर 2239 के रकबे में किसी प्रकार का कोई आबंटन नही हुआ है इस आबंटन बाबत अप्रार्थी नं. 2 ने किसी प्रकार का साक्ष्य/आबंटन आदेश की प्रति पेश नही की गई है। अप्रार्थी नं. 2 को दिनांक 21.08.1972 को आराजी खसरा नं. 2004 में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आबंटित हुई थी इस प्रकार से तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 04.08.1990 को जो निर्णय नामांतरकरण पर दिया गया है जिसमें दिनांक 12.06.1990 के निर्णय का हवाला दिया गया है जो गलत था क्योंकि आबंटन आराजी के परिवर्तन करने का अधिकार तहसीलदार को न होकर आबंटन सलाहकार समिति को है। इस प्रकार से तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से निर्णय पारित करते हुये अप्रार्थी नं. 2 को बिना आधार के ही अपृथक रूप से लाभ पहुंचाया गया है जो न्याय संगत नही है। हम वकील अपीलाण्ट के कथनों से सहमत है।

अतः अपील अपीलाण्ट खिलाफे रेस्पोण्डेण्ट स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 872 निर्णय दिनांक 04.08.1990 वाके ग्राम गुडला तहसील व जिला करौली को निरस्त किया जाता है साथ ही तहसीलदार करौली को निर्देश दिये जाते है कि इसके बाद जो भी इन्द्राज हुये है उन्हें समाप्त किया जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार करौली एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग, कलक्ट्रैट करौली को मूल नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 04.08.1990 के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:15:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: